



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24072026-274746
CG-MH-E-24072026-274746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3826]
No. 3826]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2026/आषाढ 30, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2026/ASHADHA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 15 जुलाई, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 7A के तहत

का.आ. 3996(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “पीएच-30: - बीडी-सीएनडीबी खंड के बीच रेलवे किलोमीटर 685/10-11, 695/09-10 और 698/16-17 पर क्रमशः पुश थ्रू विधि द्वारा सबवे उपलब्ध कराकर एलसी-11, एलसी-14 और एलसी-15 को समाप्त करना।” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी (CALA)	तहसील	गांवों के नाम
1.	उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती	अमरावती	1. नया अकोला 2. वडूरा 3. वडूरा एवं तलवेल

[फ़ा. सं. G197/BSL Div/LC 11, 14 & 15/Amravati Dist/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th July, 2026

Under clause 7A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 3996(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**PH-30: - Elimination of LC-11, LC-14 & LC-15 by providing subway by push through method at Rly. Kms 685/10-11, 695/09-10 & 698/16-17 resp. between BD-CNDB section**” Taluka Mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management, and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Tehsil	Villages
1.	Sub-Divisional Officer & Land Acquisition officer, Amravati	Amravati	1. Naya Akola 2. Wadura 3. Wadura & Talvel

[F. No. G197/BSL Div/LC 11, 14 & 15/Amravati Dist/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)